सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 48/2015

1. रामचन्द्र पुत्र पोखरराम जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 15 , ब्लॉक नम्बर बी हनुमान मन्दिर के पास पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. सुखदेव राज पुत्र श्री लालचन्द जाति अरोडा निवासी सेतिया फार्म मकान नम्बर 18 गली नम्बर 10 नजदीक पुलिस चौंकी श्रीगंगानगर राज0
2. नरेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति अरोडा निवासी मकान नम्बर 277 ए सेतिया कालोनी गणेश मन्दिर के पास श्रीगंगानगर राज0
3. सुमित्रा देवी पत्नी प्रेमकुमार पुत्री श्री लालचन्द जाति अरोडा निवासी सेतिया फार्म मकान नम्बर 19 गली नम्बर 10 नजदीक पुलिस चौंकी श्रीगंगानगर राज0
4. सन्तोष रानी पत्नी सुभाष कुमार भाटिया पुत्री श्री लालचन्द जाति अरोडा निवासी 170 बिनोबा बस्ती नजदीक बालनिकेतन स्कूल श्रीगंगानगर राज0
5. वीनारानी पत्नी राजेन्द्र कुमार भाटिया पुत्री लालचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 13 भीम चौक वार्ड नम्बर 12 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
6. नीतू रानी पत्नी पवन कुमार जाति अरोडा निवासी मकान नम्बर 666 लक्ष्मीनारायण मन्दिर बस्ती हजूर सिंह फाजिल्का तहसील जिला फाजिल्का (पंजाब)
7. रेखा रानी पत्नी पंकज कुमार उपनेजा जाति अरोडा निवासी गली नम्बर 1 सेतिया कॉलानी श्रीगंगानगर राज0
8. किरण पत्नी स्व0 रमेश कुमार अरोडा निवासी मकान नम्बर 277 सेतिया कॉलोनी नजदीक गणेश मन्दिर श्रीगंगानगर राज0
9. जगदीश पुत्र रमेश कुमार जाति अरोडा निवासी मकान नम्बर 277 सेतिया कॉलोनी नजदीक गणेश मन्दिर श्रीगंगानगर राज0
10. नेहा पुत्री रमेश कुमार जाति अरोडा निवासी मकान नम्बर 277 सेतिया कॉलोनी नजदीक गणेश मन्दिर श्रीगंगानगर राज0
11. विन्स पुत्र रमेश कुमार जाति अरोडा निवासी मकान नम्बर 277 सेतिया कॉलोनी नजदीक गणेश मन्दिर श्रीगंगानगर राज0

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
4. श्री सुभाष मिढा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आदेश दिनांक :—12.12.2017

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व अपीलान्ट का भाई लालचन्द पाकिस्तान से आये थे अपीलान्ट व अपीलांट का भाई की पाकिस्तान में जमीन थी जो पाकिस्तान छोड कर हिन्दुस्तान आये थे हिन्दूस्तान आने पर अपीलान्ट पर अपीलान्ट तथा अपीलान्ट के भाई द्वारा क्लेम फार्म भरा जिसका बी/बीपी/3/2208 है जिसके एवज में चक 23 बीबी तहसील पदमपुर का मुरब्बा नम्बर 56 नया 58 में 12.10 बीघा रकबा अलाट किया गया है क्योंकि यह रकबा क्लेम पर अलाट किया गया था जो दोनो के नाम था तथा इस जमीन का कब्जा आधी जमीन का लालचन्द के पास था उपरोक्त रकबा गैर खातेदारी तथा राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम दर्ज है। डीपीसी एण्ड आर एक्ट के रूल 76 के तहत वारिस घोषित करने का प्रावधान है। तहसीलदार को राष्ट्रपति भारत सरकार की भूमि में कार्यवाही करने का अधिकार नही है अब अपीलान्ट द्वारा सनद लेने की कार्यवाही की तो अपीलान्ट का पता दिनांक 18.07.2015 को चला कि उपरोक्त रकबा का ईन्तकाल रेस्पोडेन्टस के नाम करवा लिया। रकबा बतौर क्लेममेन्ट पर चक 23 बीबी तहसील पदमपुर का मुरब्बा नम्बर 56 हाल 58 में किला नम्बर 1 ता 12 एव 13 का 10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा रकबा क्लेमेन्ट नम्बर बी/बीपी/3/2208 2 स्टैण्र्ड 9/1/2 यूनिट पर रकबा अलाट किया गया जो क्लेम लालचन्द व रामचन्द के नाम है जिसके तहत 1/2 हिस्सा रामचन्द व 1/2 हिस्सा लालचन्द है। रकबा अभी तक गैरखातेदारी है यह तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नही किया इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा अलाट किया गया जिस पर डीपीसी एण्ड आर एक्ट के प्रावधान लागू होते है अगर कोई अलाटी की मृत्यु हो जाती है तो नियम 76 के तहत वारिसान घोषित किये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार को कार्यवाही करने का अधिकार नही है। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। धारा 36 के तहत राजस्व न्यायालय को कोई कार्यवाही करने का अधिकार नही था। अपीलान्ट का आधी जमीन का कब्जा चला आ रहा है अब मौके परभी अपीलान्ट का कब्जा है लेकिन अदालत द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस जारी किये बिना साबूत व सुनवाई का मौका दिये ही आदेश पारित किया गया जो निरस्त करने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया इसलिए भी अपीलांट इस आदेश की जानकारी नही हो सकी । सर्वप्रथम दिनांक 18.07.2015 को जब पटवारी हल्का से सनद जारी करने हेतु सम्पर्क किया तो पचा चला पता चलते ही नकल दरखवास्त दी नकल मिलते ही अपीलान्ट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहे है जो ईल्म से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील स्वीकार की जावें तथा ईन्तकाल सख्या 250 दिनांक 16.06.2000 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट तथा अपीलान्ट के भाई द्वारा क्लेम फार्म भरा जिसका बी/बीपी/3/2208 है जिसके एवज में चक 23 बीबी तहसील पदमपुर का मुरब्बा नम्बर 56 नया 58 में 12.10 बीघा रकबा अलाट किया गया है क्योंकि यह रकबा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

क्लेम पर अलाट किया गया था जो दोनो के नाम था तथा इस जमीन का कब्जा आधी जमीन का लालचन्द के पास था उपरोक्त रकबा गैर खातेदारी तथा राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम दर्ज है। डीपीसी एण्ड आर एक्ट के रूल 76 के तहत वारिस घोषित करने का प्रावधान है। तहसीलदार को राष्ट्रपति भारत सरकार की भूमि में कार्यवाही करने का अधिकार नही है। अपीलान्ट का आधी जमीन का कब्जा चला आ रहा है अब मौके परभी अपीलान्ट का कब्जा है लेकिन अदालत द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस जारी किये बिना साबूत व सुनवाई का मौका दिये ही आदेश पारित किया गया जो निरस्त करने योग्य है। सर्वप्रथम दिनांक 18.07.2015 को जब पटवारी हल्का से सनद जारी करने हेतु सम्पर्क किया तो पचा चला पता चलते ही नकल दरखवास्त दी नकल मिलते ही अपीलान्ट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहे है जो ईल्म से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील स्वीकार की जावें तथा ईन्तकाल सख्या 250 दिनांक 16.06.2000 को निरस्त फरमाया जावें।

जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई है:–

आर.आर.टी. 2002(1) पेज–257 Shiobai [Smt.] & Ors. vs. Simbhu & Ors.
आर.आर.टी. 2002(1) पेज–257 Shanti Las vs.Board of Revenue & Ors.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस कथन किया कि सर्वप्रथम अपील मियाद से बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें क्योंकि अपीलान्ट द्वारा अपील करीब 17 वर्ष 5 माह देरी से पेश की है जबकि अपीलान्ट उक्त इन्तकाल के बारे में जानकारी उपखण्ड कार्यालय पदमपुर में विचाराधीन प्रकरण 46/2012 धारा 88–92ए–91–188 आरटीए में वर्ष 2012 में हो चुकी थी। **(जिस हेतु फार्म नम्बर 3 के साथ दावा की आदेशिकाओं की फोटो प्रतियां पेश है)** । अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें एवं क्लेम का निर्धारण भी दावा में ही होना है अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई है

1. आर.आर.डी–जून 2006 पेज–334(Mst- Krishna Bai V/s Radha Singh & ors&[100]
2. आर.आर.टी–2006(1)पेज–633 (Sitaram & Ors. Vs Bhairu & Ors)
3. आर.आर.टी. 2004(2)पेज–861 (Shyani & Anr. Vs. Kanhaiyalal)

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। बेसिक रजिस्ट्रर चक 23 बीबी के पृष्ठ सख्या 1–2 की प्रविष्टि कमांक 2 उपखण्ड अधिकारी पुर्नवास श्रीगंगानगर का अवलोकन किया। इसके अनुसार लालचन्द पुत्र श्री पोकरराम अरोड़ा को बतौर क्लेमेंट प्रारम्भ में 25 बीघा भूमि आवंटित हुई थी, परन्तु क्लेम मिनिमम होने के कारण 12.10 बीघा भूमि विड्रा कर ली गई जिससे उसके हक में 12.10 बीघा रही है। क्लेमेंट होने के कारण उसकी गैरखातेदारी भूमि का नामांतरकरण (उतराधिकारी की घोषणा पश्चात) डी.पी.(सी एण्ड आर.) रूल्स 1955 के नियम 76 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित उतराधिकारीगण के हक में किये जाने का प्रावधान है। चूकि अपीलाधीन नामातरकरण में भूमि **क्लेमेंट लालचन्द पुत्र पोकरदास के** नाम गैर–खातेदारी में थी, इसलिए उसकी मृत्योपरांत उसके वारिसान उसकी बेवा तथा उसके पुत्र/पुत्रियों के नाम की गई है,जो विधि विरूद्व नही है।

अपीलार्थी की ओर से एक दावा घोषणा का राज0 काश्त0 अधिनियम की धारा 88–188–91–92 ए के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर पदमपुर में प्रकरण संख्या 46/2012 अनवान रामचन्द्र बनाम सुखदेव राज आदि दायर कर रखा है जो

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विचाराधीन है। इसमें भी परिवार को **क्लेमेंट की हैसियत से भूमि मिलना बताया है। क्लेमेंट के नाम दर्ज भूमि में उसके साथ दर्ज** जीवों (परिवार सदस्यों) का कोई हक नही होकर केवल उसके विधिक घोषित वारिसानों का ही हक निहित है। इस परिपेक्ष्य में अपीलाधीन नामांतरकरण सही भरा गया है।

पुराना अधिनियम निरस्त हो चुका है, लिहाजा राज्य की सुसंगत विधि के परिप्रेक्ष्य में उक्त नामांतरकरण में कोई अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती इसलिए इसमें कोई दखल किया जाना न्यायसंगत नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भेजी जावे एव रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।